उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या:-1287/78-1-2020-05आई0टी0/2020

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या:-1198/78-1-2020-05आईटी/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" अधिसूचित की गई है।

2 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। यह नीति पिछली "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" को अवक्रमित करती है। तथापि इस नीति की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेज्ड प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे।

3 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के बिन्दु- 3.3 में व्यवस्था है कि इलेक्ट्रानिक्स नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की जायेगी।

4 उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में सशक्त समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
13	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य
14	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य

15	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य
16	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा	सदस्य
17	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा	सदस्य

5 इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

6 समिति का अधिकार-पत्र (Charter) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी स्तरों पर निवेशकों से सम्बन्धित मुद्दों के सामयिक समाधान हेतु अन्तर्विभागीय सामन्जस्य से सम्बन्धित होगा। रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगी।

7 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठकें आयोजित कराने की व्यवस्था की जायेगी तथा बैठकों के पूर्व वांछित सूचनायें तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-1287(1)/78-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समिति के सदस्यगण।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव